



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259863
CG-DL-E-02012025-259863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946

No. 18]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2025

(आयकर)

का.आ. 20(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित क्रेडिट गारंटी निधि द्वारा प्राप्त भुगतानों पर उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 2/2025/फा.सं. 275/110/2024-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव (आईटी-बजट)